// कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर

फोन.नं. 2535780,90, फैक्स : 0771–2227395

E-mail :- dc_rmc@rediffmail.com

//निविदा संशोधन सूचना//

क्रमांक 2013/भ.नि.अ.प्र./न.पा.नि./2021 रायपुर दिनांक 05/01/2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचित किया जाता है, कि नगर पालिक निगम रायपुर की स्वामित्व की भूमि/भवन (उद्यान/भवन/डिवाईडर) पर मोबाइल टॉवर स्थापित करने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक/1857/भ.नि.अ.प्र./न.पा.नि./2013 रायपुर दिनांक 16.12.2020 जारी की गई है। जिसकी निविदा प्राप्ति दिनांक 08.01.2021 एवं निविदा खोलने की तिथि दिनांक 11.01.2021 को नियत की गई है।

उक्त आमंत्रित निविदा सूचना की शर्तो में निम्नानुसार संशोधन की जाती है :–

(1) निविदा की शर्त क. (01) अनुसार 'सीलबंद निविदाए 02 लिफाफा पद्धति से देना होगा। लिफाफा अ में निर्धारित अमानत राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 2000/– का डी.डी एवं अर्हता संबंधी दस्तावेज रखना होगा।' की शर्त है, जिसमें "अर्हता संबंधी दस्तावेज अर्थात् – कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉवर ऑफ अटार्नी एवं शपथ पत्र देना होगा", किया जाता है।

(2) निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में अनुबंध अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसे संशोधित करते हुए '10 वर्ष के स्थान पर' "अनुबंध अवधि 10 वर्ष होंगी, जिसे प्रतिवर्ष किराये में होने वाली वृद्धि के भाति 10 वर्ष पश्चात किराये में एक मुश्त 25% की वृद्धि करते हुए 10 साल तक बढ़ायी जा सकेगी", किया जाता है।

(3) निविदा आमंत्रण सूचना पत्र निविदा प्राप्ति की तिथि 08.01.2021 नियत की गई है, जिसे संशोधित करते हुए "निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 18.01.2021 को अपरान्ह 4:30 बजे तक एवं निविदा खोलने की तिथि 19.01.2021 को 4:30 बजे शाम नियत किया जाता है।"

(4) निविदा की शर्त क. (12) अनुसार 'एजेंसी द्वारा प्रतिवर्ष 31 मार्च के पूर्व नवीनीकरण शुल्क एवं आगामी वर्ष की किराया राशि निगम कोष में जमा करना होगा।' की शर्त है, के स्थान पर "एजेंसी द्वारा निर्धारित नवीनीकरण शुल्क एवं आगामी वर्ष की किराया राशि त्रैमासिक रूप से निगम कोष में में जमा करना होगा।" किया जाता है।

(5) निविदा की शर्त क. (36) अनुसार 'नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा किसी भी कारण से किसी भी समय टॉवर हटाए जाने का आदेश दिए जाने पर किसी प्रकार का कोई मुआवजा/क्षतिपूर्ति अथवा व्यय की पूर्ति एजेन्सी को नही की जाएगी, चाहे टॉवर लगाने की लिखित अनुमति ही क्यों न प्रदान कर दी गई हो।' की शर्त है, के स्थान पर "नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा किसी भी कारण से किसी भी समय टॉवर हटाए जाने का आदेश दिए जाने पर, संबंधित एजेंसी को हटाने हेतु 03 माह की नोटिस जारी की जायेगी एवं समयावधि में टॉवर हटाया जाना होगा या अन्यत्र पुर्नस्थापित किया जाना होगा। जिस हेतु कोई मुआवजा/क्षतिपूर्ति अथवा व्यय की पूर्ति एजेन्सी को नही की जाएगी, चाहे टॉवर लगाने की लिखित अनुमति ही क्यों न प्रदान कर दी गई हो।" किया जाता है।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

नगर पालिक निगम / नगर निवेश विभाग / रायपुर

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम,
रायपुर